



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 20 राँची, बुधवार

14 जून, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 155-160 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए., बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9 विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

4 मई, 2023

संख्या-1/विविध-817/05 का.- 2554-- श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा.प्र.से. (झा:1991), सदस्य, राजस्व पर्वद, झारखण्ड को-

1. विभागीय पत्रांक-1891 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा दिनांक 03.04.2023 से 11.04.2023 के मध्य स्वीकृत कुल 05 दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश को रद्द किया जाता है;
2. अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 03.04.2023 से 11.04.2023 तक कुल 09 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 27.04.2023 से 04.05.2023 तक कुल 07 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

संकल्प

23 मार्च, 2023

विषय: सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अधीन Companies Act, 2013 के तहत Jharkhand Knowledge Corporation Ltd. की स्थापना एवं इस निमित्त तैयार किये गये The Companies Act, 2013 (Company Limited by shares) Articles of Association (AoA), The Companies Act, 2013 (Company Limited by shares) Memorandum of Association (MoA) तथा Memorandum of Understanding (MoU) की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-533--दुनिया में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और ज्ञान आधारित समाज बनाना ज्ञान के उभरते युग में लोगों के अस्तित्व और विकास की कुंजी है। डिजिटल विभाजन को पाटने, शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी को सार्वभौमिक बनाने और एकीकृत करने और 21 वीं सदी के ज्ञान समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के उभरते लोकाचार के अनुरूप शिक्षा शासन और सशक्तिकरण में नए प्रतिमान स्थापित करने के उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करने हेतु झारखण्ड सरकार एक **Corporation** बनाने हेतु कृतसंकल्पित है।

विदित है कि **Maharastra Knowledge Corporation Ltd. (MKCL)** की स्थापना उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत 20 अगस्त, 2001 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में प्रारंभिक इक्विटी भागीदारी के साथ महाराष्ट्र सरकार और 10 राज्य विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से की गई थी। महाराष्ट्र के ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में **digital courses** के माध्यम से **MKCL** द्वारा करोड़ों अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, कालान्तर में कई अन्य क्षेत्रों यथा यूनिवर्सिटी के **digitalization**, सरकारी कार्यक्रमों के **digitalization** में भी उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। **MKCL** के सहयोग से उड़ीसा, हरियाणा एवं राजस्थान में भी **similar pattern** पर **knowledge corporations** का निर्माण किया गया है। उपरोक्त सभी राज्य में बहुत ही कम **paid up capital** से इन **corporations** का निर्माण हुआ है एवं अपने **self-sustaining model** से आम नागरिकों को लाभ पहुँचाने के साथ-साथ उपरोक्त सभी **corporations** लाभ में हैं और सरकार को बेहतर **dividends** प्रदान कर रहे हैं।

2. अतः झारखण्ड सरकार द्वारा **Jharkhand Knowledge Corporation Ltd. (JKCL)** का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार **Maharastra Knowledge Corporation Ltd. (MKCL)** एवं **Universities of Jharkhand** के साथ संयुक्त रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किये जाने का निर्णय लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार **MKCL** और झारखण्ड के राज्य विश्वविद्यालयों की हिस्सेदारी क्रमशः 45%, 15% और 40% होगी।

3. राज्य में झारखण्ड नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड का गठन निम्नवत किया जायेगा :-

3.1 नाम एवं निबंधित कार्यालय

3.1.1 कम्पनी का नाम झारखण्ड नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड होगा ।

3.1.2 कम्पनी का निबंधित कार्यालय झारखण्ड राज्य में होगा।

3.2 झारखण्ड नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड का निबंधन **Companies Act, 2013** के तहत किया जायेगा।

3.3 झारखण्ड नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड के गठन का मुख्य उद्देश्य भूमिका एवं अधिकार निम्नवत होंगे:-

(a) The objects to be pursued by the Company on its incorporation specified in Clause III (a) of MoA are :-

1. Proliferation and implementation of Education, Governance and Empowerment programs, technologies, products, solutions and services;
2. Education and Skill Development;
3. Information Technology ("IT") and IT-Enabled Services;
4. Child care and development;
5. Governance and Empowerment;
6. Social and Economic Welfare;
7. Broadcasting and Dissemination of Knowledge, information;
8. Marketing and Brand Promotion;
9. Intellectual Property;
10. Research and Development;
11. Infrastructure Development and Management;
12. Others : **i.** To enter into partnership or any arrangement or agreement with any Governments, Universities, Multiversity, Authorities, Municipal, Local or otherwise or any person or company or any of them for sharing profits, union of interests, exchanging of shares, joint venture, reciprocal concession or cooperation and engage in any business or transactions which the Company is authorized to carry on and to obtain from such Government, Authority, person or company any rights, licenses, privileges, charters, contracts and concessions which the Company may think it desirable to obtain and to carry out, exercise and comply therewith, and to oppose any proceedings or applications which may seem calculated directly or indirectly prejudice the interests of the Company.
- ii.** To establish, maintain, conduct, provide, or make available services of every kind including commercial, statistical, financial, accountancy, medical, legal, management, educational, engineering, environmental, data processing, communication and other technological social or other services.
- iii.** To provide personnel requirement services and to carry on business of consultants and providing management services including but not limited to personnel recruitment services covering all categories of employees for any type of organization and to incur auxiliary and incidental expenses.
- iv.** To carry on in India or anywhere in the world, all or any of the above objects as Innovators, Change-makers, Designers, Developers, Knowledge Partners, Implementation Partners, Fast-track Enablers, Integration Partners, Business Process Re-Engineering Partners, Business Partners, Consultants, Buyers,, Sellers, Licensors, Licensees, Contractors, Agents, Hirers, Importers, Exporters, Remodelers, Over-haulers, Installers, Repairers, Representatives, Assemblers,

Manufacturers, Processors, Dealers, Retailers, Distributors, Stockiest and service providers as principals, agents, contractors or otherwise deal in products, technologies, solutions and services.

v. To undertake Corporate Social Responsibility ('CSR') activities in terms of the provisions of the Companies Act, 2013 [including any amendment(s) thereto or any re-enactment(s) thereof] and Rules, Regulations made thereunder or in such other manner as the Company deems fit.

(b)Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in Clause III(b) of MoA

1. Business Enabling and Support Services;
2. Corporate Matters;
3. Infrastructure Development and Management;
4. Accounts and Finance;
5. Human Resources Development;
6. Others : i. To do all any of the above things and all such other things as are incidental or may be thought conducive to the attainment of the objects mentioned in Part (a) of the Objects Clause or any of them in any part of the world and as principals, agents, contractors, trustee or otherwise and by or through trustees, agents or otherwise and either alone or in conjunction, collaboration with others.

ii. The liability of the members is limited.

(A) The minimum paid up Capital for this Company will be Rs. 2,00,00,000/- (Rs. Two Crores Only).

(B) The Authorized Share Capital of the Company is Rs. 5,00,00,000/- (Rs. Five Crores Only) divided into 50,00,000 (Fifty Lakh) Equity shares of Rs. 10/- (Rs. Ten Only) each with rights, privileges or conditions as provided by the Articles of Association of the Company for the time being.

4. पूँजी- झारखण्ड नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड की न्यूनतम अधिकृत पूँजी **2,00,00,000/-** (दो करोड़) होगी जो कि रुपये 10 प्रति शेयर के साथ 20 लाख शेयरों में विभाजित की जायेगी।

4.1 अंशधारक (Shareholder)- झारखण्ड नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड के अंशधारक निम्नवत होंगे :-

S.	Promoter Shareholders	Equity Percentage	Share of paid-up Capital
1	Dept. of IT & e-Governance, Govt. of Jharkhand	45	90 lakhs
2	Maharashtra Knowledge Corporation Ltd. (MKCL)	15	30 lakhs
3	Universities of Jharkhand (Ranchi University-15 lakh, Vinoba Bhave University-15 lakh, Sidhu Kanhu University, Dumka-10 lakh, Binod Bihari Mahto Koylanchal University, Dhanbad-10 lakh, Kolhan University, Chaibasa-10 lakh, Nilamber Pitamber University, Palamau-10 lakh, Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi-10 lakh)	40	80 lakhs
Total		100	200 lakhs

5. निदेशक मंडल (Board of Directors) & झारखण्ड नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल निम्नवत होंगे :-

S.	Directors	No. of Directors
1	ACS/Pr. Sec./Secretary, Dept. of IT & e-Governance, GoJ	01
2	ACS/Pr. Sec./Secretary, Dept. of Higher & Technical Education, GoJ	01
3	ACS/Pr. Sec./Secretary, Dept. of School Education & Literacy Development, GoJ	01
4	ACS/Pr. Sec./Secretary, Dept. of Labour, Employment, Training & Skill Development, GoJ	01
5	Managing Director, JKCL	01
6	Nominees of Maharashtra Knowledge Corporation Ltd. (MKCL)	02
7	One representative from among the Shareholder Universities by rotation, to be decided by the Board of the Company.	01
8	Independent Directors as per Section 149 of the Act.	02

- 5.1 अध्यक्ष (Chairman) - झारखण्ड नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के प्रथम अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग पांच वर्ष के लिए होंगे। इसके पश्चात निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष का चयन किया जा सकेगा।
- 5.2 प्रबंध निदेशक (Managing Director) - झारखण्ड नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर प्रथम नियुक्ति MKCL द्वारा पाँच वर्षों के लिए की जायेगी। इसके पश्चात् प्रबंध निदेशक की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की जा सकेगी।
6. झारखण्ड नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर इसका निपटारा झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में किया जायेगा।
7. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अधीन Companies Act, 2013 के तहत Jharkhand Knowledge Corporation Ltd. की स्थापना एवं इस निमित्त तैयार किये गये The Companies Act, 2013 (Company Limited by shares) Articles of Association (AoA), The Companies Act, 2013 (Company Limited by shares) Memorandum of Association (MoA) तथा Memorandum of Understanding (MoU) की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-407 दि० 04.03.23 के क्रम में मंत्रिपरिषद की बैठक दि० 15.03.23 में मद सं० -14 में दी गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सरकार के सचिव ।
